

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 75/2019 (रे.वि.)  
पंजीयन दिनांक 15.11.2019

सेवा गृह ऋण लिमिटेड जिसका प्रधान कार्यालय 206-207, विक्रम टावर्स, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में स्थित व कार्यरत है शाखा कार्यालय राज मॉल, प्रतापनगर, मेन रोड़, उदयपुर रोड़, चित्तौड़गढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्रीमति शान्ति देवी नायक पत्नि रामेश्वर नायक जाति नायक, निवासी वार्ड नं. 4, ग्राम पावली, ग्राम पंचायत पावली, वाया भीमगढ़ तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़
- 2-श्री रामेश्वर नायक पिता नारु नायक जाति नायक, निवासी वार्ड नं. 4, ग्राम पावली, ग्राम पंचायत पावली, वाया भीमगढ़ तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़
- 3-श्री लाला राम नायक पिता रामेश्वर नायक जाति नायक, निवासी वार्ड नं. 4, ग्राम पावली, ग्राम पंचायत पावली, वाया भीमगढ़ तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़
- 4-श्री दुर्गा शंकर नायक पिता रामेश्वर नायक जाति नायक, निवासी वार्ड नं. 4, ग्राम पावली, ग्राम पंचायत पावली, वाया भीमगढ़ तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़
- 5-श्रीमति निरमा नायक पत्नि लाला राम नायक जाति नायक, निवासी वार्ड नं. 4, ग्राम पावली, ग्राम पंचायत पावली, वाया भीमगढ़ तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़
- 6-श्री कालुराम नायक पिता सोहनलाल जाति नायक निवासी वार्ड नं. 7, ग्राम पावली, ग्राम पंचायत पावली, वाया भीमगढ़ तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री सुनिल सुखवाल, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 04.02.2020



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रार्थी को भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 18.12.2015 से वित्तीय संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 2,25,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़

|  |
|--|
| प्रकरण संख्या 75/2019 (रे.वि.)   |
| सेवा गृह ऋण लिमिटेड बनाम श्रीमति शान्ति देवी नायक निवासी पावली वाया भीमगढ़ तहसील राशमी वगैरा |

भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।


प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

श्री रामेश्वर नायक पिता नारु नायक जाति नायक निवासी वार्ड नं. 4 ग्राम पावली ग्राम पंचायत पावली वाया भीमगढ़ तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) हाल रजिस्टर्ड पट्टा संख्या 027 संकल्प संख्या 2 दिनांक 16.02.2013 की अनुपालना में जारी दिनांक 25.05.2013 पंजीयन दिनांक 25.04.2017 गांव पावली, ग्राम पंचायत पावली पं. स. राशमी, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) आबादी भूमि के आराजी नं. 618 पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका कुलिया माप 1479 स्वचायर फीट है। चर्तुसीमा:-

पूर्व में :- कमलाबाई जैसवाल पश्चिम में :- आम रास्ता  
उत्तर में :- हीरा/नारु नायक दक्षिण में :- रास्ता

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 30.06.2019 तक राशि रुपये 2,33,691.71/- रुपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते हैं। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिव्योरिटार्डिजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिव्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।



डिप्टी कमिश्नर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़



अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(चितन देवड़ा)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़